भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *188
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन

***188. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय करने का विचार/प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : मद्रास नगर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1996 के अधिनियमन के अनुसरण में मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था ।तत्पश्चात्, वर्ष 1997 में, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम चेन्नई उच्च न्यायालय करने के लिए तमिलनाडु सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।तमिलनाडु सरकार ने यह भी सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है ।

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 को 19.07.2016 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय किया गया था ।

लोक सभा में विधेयक के पुरस्थापन के तत्काल बाद, तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि तमिलनाडु विधान सभा ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु उच्च न्यायालय करने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है ।तथापि, जब इसे 07.12.2019 को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय की बैठक के समक्ष रखा गया, तो न्यायालय ने संकल्प किया कि उच्च न्यायालय का नाम बदलना उचित नहीं होगा ।

इसी बीच, सोलहवीं लोकसभा का विघटन होने के कारण उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 व्यपगत हो गया ।

इस विषय पर तमिलनाडु राज्य सरकार और मद्रास उच्च न्यायालय के बीच मतभेद को ध्यान में रखते हुए, आज की तारीख में मद्रास उच्च न्यायालय के नाम को परिवर्तन करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है ।

****